जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 22.11.2024

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **महुली पुलिस द्वारा 01** वारण्टी नाम पता राजकुमार पुत्र पराग मद्धेशिया निवासी देईसाढ़ थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह, म0का0 नेहा प्रसाद, हो0गा0 पीसी राकेश गुप्ता।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5997 द्वारा मारपीट/विवाद के कारण घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल–

पीआरवी 5997 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत देउवापार से इवेंट सं0 31587 द्वारा कालर ने मारपीट विवाद होने के कारण घायल 03 लोगो (1. राममिलन पुत्र शिवपूजन 2. रामजनक पुत्र शिवपूजन 3. शकुन्तला पत्नी राममिलन ग्राम देउवापार थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल लोगो को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी सेमरियावा भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए लोगो को ईलाज हेतु सी0एच0सी सेमरियावा भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियें द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 सरियतुल्ला, आ0 अमित कुशवाहा, हो0चा0 उमेश कुमार।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 261 वाहनों से 2,93,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 22.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 261 वाहनों से 2,93,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थानाध्यक्ष बेलहरकला ***श्री जितेन्द्र कुमार यादव*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 257/2024 धारा 108, 191(2), 352 बीएनएस थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर में वांछित अभियुक्तगण 1. शिवपूजन निषाद पुत्र राजकुमार निषाद, 2. अभियुक्ता गुड़िया देवी पत्नी शिवपूजन निषाद 3. रीता देवी पत्नी शत्रुघन निषाद निवासीगण भेडौरा पिकौरा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को पिपरी मोड़ के पास तथा 4. इन्द्रजीत पुत्र बलिराम निवासी ग्राम भेडौरा पिकौरा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को निघुरी चौराहे के दक्षिण नहर पुल के पास से आज दिनांक 22.11.2024 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 06.11.2024 को थाना बेलहरकला पर उक्त अभियुक्तगण सहित 05 लोगो के विरुद्ध वादिनी के लड़के मोहित कुमार को जान से मारने, गाली, धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना थाना बखिरा द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त घटना में वांछित अभियुक्तगण उपरोक्त को आज दिनांक 22.11.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, उ0नि0 श्री सुरेन्द्र प्रसाद, हे0का0 सुशील कुमार यादव, हे0का0 इन्द्रकमल यादव, हे0का0 विजय कुमार सिंह, का0 रविन्द्र निषाद म0का0 कोमल देवी, म0का0 प्रिया शास्त्री।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री श्याम मोहन*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 257/2024 धारा 108, 191(2), 352 बीएनएस थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर में वांछित अभियुक्त राहुल निषाद पुत्र अमरजीत निषाद निवासी ग्राम भेडौरा पिकौरा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 22.11.2024 को पिपरा बोरिग बभनी जाने वाले रास्ते निकट तिराहे के पास स्थित चौधरी ट्रेडर्स इलेक्ट्रानिक दुकान के सामने से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 06.11.2024 को थाना बेलहरकला पर उक्त अभियुक्त सहित 05 लोगो के विरुद्ध वादिनी के लड़के मोहित कुमार को जान से मारने, गाली, धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना थाना बखिरा द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी। थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त घटना में वांछित अभियुक्त उपरोक्त को आज दिनांक 22.11.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष बखिरा श्री श्याम मोहन, उ0नि0 श्री पवन कुमार, हे0का0 अनिल यादव, का0 शैलेन्द्र यादव, का0 अश्वनी यादव, का0 प्रमोद शर्मा ।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आर्म्स एक्ट के तहत अभियुक्त को 01 वर्ष 06 माह 27 दिन का कारावास तथा 500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 22.11.2024 को ***ए0एस0जे0 प्रथम जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना बखिरा* पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 565/2018* धारा 324 भा0द0वि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट के मामलें में दोषसिद्व अभियुक्त नाम पता मो0 मकबूल अहमद उर्फ सिंकू पुत्र मो0 मुर्तजा निवासी बौरव्यास थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 324 भा0द0वि0 के तहत 01 वर्ष 06 माह 22 दिन के कारावास से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधि0 के अन्तर्गत 01 वर्ष 06 माह 22 दिन के कारावास व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने कि दशा में अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा। अभि0 के दोनों आरोपो में सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गयी कोई अवधि को सजा में समायोजित की जाएगी।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामलें में अभियुक्त को 06 माह की परिवीक्षा छोड़ा गया

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास से फलस्वरुप आज दिनांक 22.11.2024 को ***मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना दुधारा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 556A/2012 धारा 323/34, 325/34,504,506 भादवि से सम्बन्धित **अभियुक्त राहुल** यादव पुत्र सुग्धर यादव निवासी बरड़ाड थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 325/34 भादवि0 में दोषमुक्त किया गया है तथा धारा 323/34,504,506 भादवि0 में दोषसिद्ध किया गया है। 06 माह के सदाचार एवं परिशांति बनाये रखने हेतु नियमानुसार अवमुक्त किये गये।

“ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैर इरादतन हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को पाँच-पाँच वर्ष के सश्रम करावास व कुल 48,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास से फलस्वरुप आज दिनांक 22.11.2024 को ***मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना दुधारा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 556/2012 धारा 304, 323/34, 325/34,504,506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्ता हुमेला देवी पत्नी स्व0 हीरालाल यादव को धारा 323/34 में दोषसिद्ध किया गया है तथा धारा 304,504,506 भादवि0 में दोषमुक्त किया गया है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1. संजय यादव पुत्र स्व0 हीरालाल यादव 2. धर्मेन्द्र यादव पुत्र स्व0 हीरालाल यादव निवासीगण बरडाड़ थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को अंतर्गत धारा 304(II)/34 भादवि में प्रत्येक को 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास व 20000-20000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभि0गण प्रत्येक को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा। इसी प्रकार धारा 323/34 भादवि के अन्तर्गत अभि0गण प्रत्येक को 05-05 माह के कारावास व 2000-2000रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड जमा न करने की दशा में अभि0गण प्रत्येक को 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा। इसी प्रकार धारा 325/34 भादवि के अन्तर्गत अभि0गण प्रत्येक को 01-01 माह के कारावास व 2000-2000रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड जमा न करने की दशा में अभि0गण प्रत्येक को 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा। अभियुक्ता हुमेला देवी को धारा 323/34 भा0द0वि0 के तहत दोषसिद्ध है। अभियुक्ता को 06 माह के सदाचार एवं परिशांति बनाये रखने हेतु नियमानुसार छोड़ा गया। अभि0गण प्रत्येक द्वारा जेल में बितायी गयी कोई अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।